<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः— 608 / 15</u> <u>संस्थापन दिनांकः—29 / 09 / 15</u> <u>फाईलिंग नं. 233504001382015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

- 1. भूरूसिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह परमार पिता सुरेन्द्र सिंह, उम्र 20 वर्ष
- 2. स्रेन्द्र सिंह पिता ईश्वर सिंह परमार, उम्र 40 वर्ष
- 3. चरनसिंह पिता ईश्वर सिंह परमार, उम्र 35 वर्ष,
- 4. स्मिता बाई पित गजेन्द्र सिंह परमार, उम्र 27 वर्ष सभी निवासी ग्राम सोनतलाई, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 13.07.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34(दो काउंट में), 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.09.2015 को समय शाम करीब 06:00 बजे या उसके लगभग उनके घर के सामने सोनतलाई आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप फरियादी कुबेरसिंह को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी कुबेरसिंह को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी कुबेरसिंह एवं आहत कांताबाई को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की तथा फरियादी कुबेरसिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.09.2015 को अभियुक्त भूरू उसके घर के पास खड़ा था जिस पर फरियादी कुबेरसिंह ने अभियुक्त भुरू से 300 रूपये उधारी के मांगे तो अभियुक्त भूरू ने उसे मादरचोद, मां की चूत की गाली देकर पैसे देने से मना किया और उसका दांहिने हाथ का अंगूठा पकड़कर मरोड़ दिया और धक्का देकर नीचे गिरा दिया

तथा हाथ मुक्के से मारपीट किया। तभी अभियुक्त सुरेंद्र ने भी आकर उसके साथ लात घूसो से मापरीट किया। मारपीट से उसे पीठ, सिर, अंगूठे एवं बांये तरफ पसली में मूंदी चोट आयी। फरियादी दिनांक 13.09.2017 को सुबह जब अपनी पत्नी कांतिबाई के साथ रिपोर्ट करने जा रहा था तभी अभियुक्तगण वहां आये और उसके तथा उसकी पत्नी के साथ मारपीट किये तथा रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दिये। अभियुक्त स्मिता ने उसकी पत्नी कांतिबाई के साथ हाथ मुक्को से मारपीट की जिससे उसकी पत्नी के पेट और कंधे पर मूंदी चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना आमला में अपराध क. 492/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थिति बाबत नोटिस जारी किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूटा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
- 5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी कुबेरसिंह एवं आहत कांताबाई के साथ हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?

8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

- 5 कुबेरिसंह (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त भूरू ने उसे मादरचोद तेरी मां की चूत की गालियां दी थी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। कांतिबाई (अ.सा.—5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त भूरू ने उसके पित को गाली गलौच की थी।
- 6 कुबेरसिंह (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त भूरू द्वारा घटना के समय मादरचोद तेरी मां की चूत की गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं। विधि में अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गयी है उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवन्नति की ओर ले जायें, उसमें कामुक्ता यौन मनोव्यय को पैदा करे लेकिन फरियादी द्वारा बताये गये शब्द इस स्वरूप के नहीं हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत सोबरन विरुद्ध म.प्र. राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्ट नो. 135, विष्णु प्रसाद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नो. 148 अवलोकनीय है। इस प्रकार उपर्युक्त न्याय दृष्टांत एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धांत तथा साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दी गयी गालियों से किसी व्यक्ति को क्षोभ या संत्रास कारित हुआ हो।
- 7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी कुबेरिसंह (अ.सा.—1) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी कुबेरिसंह (अ.सा.—1) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा—506 भाग—2 भा0दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

- 8 कुबेरसिंह (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त भूरू ने उसके दांहिने हाथ का अंगूठा मोड़ दिया था तथा अभियुक्तगण भूरू, सुरेंद्र, चरण और स्मिता ने मिलकर उसके साथ मारपीट किये थे और उसकी पत्नी कांति के साथ भी मारपीट किये थे। उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी। उसका तथा उसकी पत्नी का मेडिकल मुलाहिजा हुआ था। कांति (अ.सा.—5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसके पति ने अभियुक्त भूरू से उधार के पैसे मांगे तो अभियुक्त भूरू ने मारपीट किया और दूसरे दिन अभियुक्त भूरू, चरण, सुरेंद्र और स्मिता ने उसके और उसके पति के साथ मारपीट किया था जिससे उसे पेट में चोट आयी थी।
- 9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—6) ने दिनांक 13.09.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत कुबेरिसंह का परीक्षण किये जाने पर उसके दांहिने हाथ के अंगूठे एवं अंगुली पर 3 गुणा 2 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द तथा बांयी अग्र भुजा पर 2 गुणा 1 सेमी. एवं 1 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोच तथा आहत के सिर एवं छाती के बांयी तरफ दर्द पाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आहत कांतिबाई के चिकित्सकीय परीक्षण पर आहत के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी थी परंतु आहत के पेट एवं शरीर में दर्द पाया था। साक्षी ने आहत कुबेरिसंह को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श प्री—5 एवं प्रदर्श पी—6 को प्रमाणित किया है।
- 10 जितेंद्र सिंह गुर्जर (अ.सा.—6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 13.09.2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 492/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 14.09.2015 को घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श प्री—2 एवं प्रदर्श पी—3 तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। स्वतंत्र साक्षीगण ने अभियोजन का पूर्णरूपेण समर्थन नहीं किया है। साक्षीगण ने अभियोजन कथा के अनुरूप कथन नहीं किये हैं जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 12 बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में साक्षी संजय (अ.सा.—2) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह खेत से घर की ओर

जा रहा था तब उसने देखा कि अभियुक्तगण एवं कुबेर की बातें हो रही थी परंतु उसने किसी को मारपीट करते नहीं देखा था। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण में घटना की कोई जानकारी न होना बताया है। इस प्रकार साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। महादेव (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि घटना शाम के समय की है। घटना के समय वह बैल लेकर तोरण के नीचे खड़ा था तभी अभियुक्त भूरू, सुरेंद्र, चरण, रिमता ने फरियादी कुबेरसिंह एवं कांतिबाई के साथ लात मुक्कों और लाठी से मारपीट किया। इसके बाद दूसरे दिन सुबह अभियुक्तगण ने घर में घुसकर मारपीट की। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि 12 तारीख की घटना अभियुक्त भूरू के घर के पास की है और दिनांक 13 की घटना फरियादी के घर के अंदर की है। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि भूरू के घर के पास मारपीट की घटना के बारे में उसने पहली बार न्यायालय में कथन किये हैं। साक्षी महादेव ने मुख्य परीक्षण में दोनों तिथियों दिनांक 12.09.2015 एवं 13.09.2015 को समस्त अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी कुबेर एवं आहत कांतिबाई की मारपीट किया जाना बताया है। जबकि स्वयं फरियादी ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि पहले दिन की जो घटना है उसमें केवल अभियुक्त ने भूरू ने उसके साथ मारपीट की थी और दूसरे दिन समस्त अभियुक्तगण ने मिलकर उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी। इस प्रकार साक्षी महादेव (अ.सा.–3) ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये है और अतिश्योक्तिपूर्ण कथन करते हुए नवीन तथ्यों का समावेश किया है। अतः साक्षी पर विश्वास किया जाना सूरक्षित प्रतीत नहीं होता है। फलतः संजय (अ.सा.–2) एवं महादेव (अ.सा.–3) के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13 प्रकरण में साक्षी कुबेर सिंह (अ.सा.—1) एवं कांति (अ.सा.—5) कमशः फरियादी एवं आहत हैं। कुबेरसिंह (अ.सा.—1) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त भूरू के घर के पास से गुजर रहा था, उसने अभियुक्त से उधारी के पैसे मांगे तो अभियुक्त ने उसके दांहिने हाथ का अंगूठा मोड़ दिया और दूसरे दिन जब वह रिपोर्ट करने जा रहा था तो अभियुक्त भूरू, चरण, सुरेंद्र, स्मिता ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी। कांति (अ.सा.—5) ने भी साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि शाम के समय उसके पति खेत तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में अभियुक्त भूरू मिला और उसके पति ने भूरू से उधारी के पैसे मांगे तो अभियुक्त ने मारपीट किया। आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंची और पति को उठाकर घर लायी। दूसरे दिन सुबह वह और उसके पति रिपोर्ट करने के लिए जाने लगे तब अभियुक्तगण भूरू, चरण, सुरेंद्र और स्मिता घर पर आये और दोनों के साथ मारपीट की।

कुबेरसिंह (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके साथ दो घटना हुई थी। पहले दिन जो घटना हुई थी उसी की रिपोर्ट वह दूसरे दिन करने जा रहा था तब भी मारपीट हुई थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह अभियुक्त भूरू के घर स्वयं गया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि वह रास्ते से जा रहा था। इसी पैरा में साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ में मारपीट नहीं की थी। स्वतः कहा कि मारपीट की थी। पुनः से पैरा क. 10 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं की थी। कांति (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में यह बताया है कि घटना दिनांक को पोला का त्योहार था लेकिन साक्षी ने यह गलत होना बताया है कि सभी लोग अपने बैलों के साथ गांव में ही थे। स्वतः में कहा कि गांव के बाहर तोरण बंधती है इसलिए गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए थे। उसका पति नहीं गया था। साक्षी ने आगे बताया है कि उसका पति खेत की तरफ जा रहा था। पैरा क. 05 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त स्मिता घर पर ही थी। इसी पैरा में साक्षी ने यह भी गलत होना बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ में मारपीट नहीं की थी और रामिकशोर सरपंच के कहने पर झूठी रिपोर्ट उसने करायी है।

15 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 12.09.2015 की लगभग शाम के 06:00 बजे की है। घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन दिनांक 13. 09.2015 को प्रातः 11:00 बजे लेख करायी गयी है। घटना स्थल से थाने की दूरी 12 किलोमीटर है। ऐसी स्थिम में फरियादी द्वारा विलंब से रिपोर्ट लेख कराया जाना नहीं माना जा सकता। साक्षी कुबेरसिंह (अ.सा.—1) एवं कांति (अ. सा.—5) ने अभियोजन कथा के अनुरूप कथन किये हैं। दोनों ही साक्षीगण अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर हैं। उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। अतः उपर्युक्त साक्ष्य विवेचना अनुसार यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी कुबेरसिंह एवं कांतिबाई के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की।

16 अभियुक्तगण का एक साथ फरियादी कुबेरसिंह एवं आहत कांतिबाई के साथ उनके घर पर आकर मारपीट किया जाना उनके सामान्य आशय को एवं स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो। अतः अभियुक्तगण का कृत्य सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में कारित किया जाना प्रकट होता है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की गयी थी।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप फरियादी कुबेरिसंह को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी कुबेरिसंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कुबेरिसंह को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी कुबेरिसंह एवं आहत कांताबाई को हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की। फलतः अभियुक्तगण भुक्तिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह, सुरेश, चरणिसंह एवं स्मिता को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323/34(दो काउंट में) भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

18 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोटः— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

वण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए ०डी०पी०ओ० के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा चारों अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया। 20 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी एवं आहत के साथ हाथ मुक्के से मारपीट कर उन्हें उपहित कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।

21 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं तथा चारों अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण को धारा 323/34(दो काउंट) भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रत्येक काउंट में दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/—500/— रूपये कुल 1,000/— 1,000/— रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 15—15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

22 प्रकरण में आहत कांति फरियादी कुबेरसिंह की पत्नी है। अतः धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 3,000 / — रूपये फरियादी कुबेरसिंह पिता सिरीसिंह परमार, निवासी सोनतलाई, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

23 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

24 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैत्ल (म.प्र.)